

एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामला 1994

प्रलिस के ललल:

[अनुच्छेद 356, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संघवाद, न्यायकल समीकषल](#)

मेन्स के ललल:

एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामले का महत्त्व, राष्ट्रपतलशलसन, अनुच्छेद 356 का अनुचतल उपयोग

[स्रोत: हदुसतलन टाइम्स](#)

चरुल में कुरुुं?

एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामले पर वरुष 1994 में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) कल नू-न्यायाधीशुं कल पीठ द्वारा नरुणय कयल गयल जो [अनुच्छेद 356](#) के तहत रलजु सरकरल कल मनमलनल रूड से बरुखलसुतगु कल प्रतबलधतल करतल है । इस नरुणय के 30 वरुष बलद भी भारत के संवैधलनकल ढलँचे को आकर देने में इसकल भूमकल बनल हुई है ।

एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामलल कयल है?

■ एस.आर.बोममई बनाम भारत संघ मामले कल पूषुठभूमल:

- वरुष 1985 में जनतल पलरुटी ने कर्नलटक में वधलनसभल चुनलव जीत कर सरकर बनलई और मुखयमंतुरी के रूड में रलमकृषुण हेगड़े को चयनतल कयल । वरुष 1988 में हेगड़े के सुथलन पर एस.आर.बोममई ने मुखयमंतुरी कल पद ग्रहण कयल ।
 - सतलंबर 1988 में जनतल दल के एक वधलयक ने वधलनसभल के **19 अन्य सदसुयुं के सलथ पलरुटी छोड दी** और बोममई के नेतृत्व वलली सरकर से अपना समरुथन वलपस ले लयल ।
- सदसुयुं द्वारा दलबदल करने से पलरुटी कल बहुमत प्रभवतल हुआ जसलके कारण **अनुच्छेद 356 कल उपयोग कर रलजु सरकर को बरुखलसुत कर दयल गयल** । बोममई द्वारा बहुमत परीकषण कल अनुरोध कयल गयल जसल [रलजुपलल](#) ने असुवीकर कर दयल ।
- बोममई ने उचुच न्यायालय कल रुख कयल जसलमें बोममई के वरुदुध नरुणय सुनलय गयल, जसलके बलद उनहुंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दलयर कल ।

■ सर्वोच्च न्यायालय कल नरुणय:

- सर्वोच्च न्यायालय कल नू न्यायाधीशुं कल पीठ ने इस तथुय पर बल दयल कल **अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपतलदवलरल आपलत कल उदुघोषणल** कल सलवधलनल से प्रयोग कयल जलनल चलहयल, जसल कल **डु. बी.आर. अंबेडकर** और **सरकरलयल आयुग** द्वारा अनुशंसल कल गई थल ।
- संसद के दुनुनु सदनुुं को **अनुच्छेद 356(3)** के अनुसार राष्ट्रपतलदवलरल आपलत कल उदुघोषणल कल गहन वशल्लेषण करनल चलहयल ।
 - यदल उदुघोषणल दुनुनु सदनुुं कल मंजुरी के बनल जलरुी कल जलतल है तो यह **दु मलह के भीतर समलपुत** हुे जलतल है और रलजु वधलनसभल अपना संचललन पुनः प्रलरंभ कर सकतल है ।
- सर्वोच्च न्यायालय उदुघोषणल कल **न्यायकल समीकषल** कर सकतल है और इसकल वैधतल को चुनूतल देने वलली **रुटल यलचकललुं** पर वचलर कर सकतल है यदल यलचकलल में तरुकपूरुण प्ररुशन उठलए गए हैं ।
- नरुणय में यह स्पुषुट कयल कल कलसल **रलजु सरकर को बरुखलसुत करने कल राष्ट्रपतलकल शकुतलपूरुण/आतुयंतकल नहुं** है अपतुल सलमललुं के अधलन है ।
 - यह मलनल गयल कल हललुंकल **अनुच्छेद 356** वधलनमंडल के वधलन को स्पुषुट रूड से संबुधतल नहुं करतल है, फरल भी इससे ऐसल शकुतललुं कल अनुमलन ललगलय जल सकतल है ।
 - **अनुच्छेद 174(2)** जो रलजुपलल को वधलन सभल को भंग करने कल अनुमतलदलतल है तथल **अनुच्छेद 356(1)(A)**, जो **राष्ट्रपतल को रलजुपलल एवं रलजु सरकर कल शकुतललुं को प्रदलन करने में सकुषम** बनलतल है, जो वधलन मंडल को भंग करने कल शकुतल प्रदलन करतल है ।

■ एस.आर. बोममई बनाम भारत संघ मामले कल महत्त्व:

- एस.आर. बोममई मलमल **मुल संरुचनल सदुधलंत** के सलथ-सलथ **अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को दरुज करने** के संबुध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतलहलसकल नरुणयुं में से एक है ।

- नरिणय दवारा अनुच्छेद 356 के दायरे तथा सीमाओं पर स्पष्टता प्रदान की और साथ ही केवल असाधारण परस्थितियों में इसके उपयोग पर ज़ोर दिया ।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति सदिधांत सरकारिया आयोग की सफिरशियों के अनुरूप थे ।
- इस मामले ने संघवाद के सदिधांतों की पुष्टि की, जिसमें कहा गया किराज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं और साथ ही यह सहकारी संघवाद की वकालत भी करती हैं ।
- नरिणय में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों की जाँच करने, संवैधानिक सदिधांतों का पालन सुनिश्चित करने तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर ज़ोर दिया गया ।
- इसने पुष्टि की कविधानसभा का पटल सरकार के बहुमत का परीक्षण करने का एकमात्र अधिकार है, न किराज्यपाल की व्यक्तपिरक राय का ।

नोट:

- सरकारिया आयोग ने कुछ मामलों में अनुच्छेद 356(1) को लागू करने से पहले राज्य को सूचित करने की अनुशंसा की ।
 - इसमें कहा गया है कसिमस्या को हल करने के लिये पहले अन्य सभी वकिलपों पर वचिर कया जाना चाहिये और साथ ही अनुच्छेद 365 का उपयोग केवल तभी कया जाना चाहिये जब कोई अन्य वकिलप उपलब्ध न हो जो समस्या को हल करने के लिये लागू कया जा सके ।
- सहकारी संघवाद एवं प्रतसिपर्द्धी संघवाद:
 - सहकारी संघवाद में केंद्र तथा राज्य एक कषैतजि संबंध साझा करते हैं, जहाँ वे व्यापक सार्वजनिक हति में "सहयोग" प्रदान करते हैं ।
 - यह राष्ट्रीय नीतियों के नरिमाण एवं कार्यानवयन में राज्यों की भागीदारी को सक्षम करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है ।
 - संघ तथा राज्य संविधान की अनुसूची VII में नरिदषिट मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये संवैधानिक रूप से बाध्य हैं ।
 - प्रतसिपर्द्धी संघवाद में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संबंध लंबवत् एवं राज्य सरकारों के बीच कषैतजि होता है ।
 - प्रतसिपर्द्धी संघवाद में राज्यों को लाभ के लिये आपस में और केंद्र के साथ भी प्रतसिपर्द्धा करने की आवश्यकता होती है ।
 - राज्य धन और नविश आकर्षति करने के लिये एक-दूसरे के साथ प्रतसिपर्द्धा करते हैं, जिससे प्रशासन में दक्षता आती है तथा वकिसात्मक गतिविधियों में वृद्धि होती है ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है?

- अनुच्छेद 356 की पृष्ठभूमि:
 - संविधान सभा में प्रारंभिक चर्चा में इस बात पर वचिर कया गया किक्या भारत को संघीय या एकात्मक सरकार प्रणाली अपनानी चाहिये ।
 - वचिर के दो मत उभरे, जनिमें संघवाद के समर्थक वकिंद्रीकृत शक्तियों के लिये तर्क दे रहे थे और अन्य अधिकि केंद्रीकृत एकात्मक राज्य का समर्थन कर रहे थे ।
 - डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट कया किराज्य संघीय और एकात्मक दोनों सदिधांतों के तहत कार्य करता है, सामान्य परस्थितियों में संघवाद प्रचलति होता है तथा आपात स्थिति के दौरान एकात्मक नयितरण होता है ।
 - दुरुपयोग के खलिाफ चेतावनियों के बावजूद, परवर्ती सरकारों ने राजनीतिक कारणों से अनुच्छेद 356 को बार-बार लागू कया, जिसके परिणामस्वरूप इसे 132 बार लागू कया गया ।
- अनुच्छेद 356:
 - भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 पर आधारति है ।
 - अनुच्छेद 356 के अनुसार, संवैधानिक प्रशासन की वकिलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ।
 - राष्ट्रपति शासन दो स्थितियों में लगाया जा सकता है: जब राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा वह आश्वस्त होता है किराज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है (अनुच्छेद 356) तथा जब कोई राज्य केंद्र सरकार के नरिदेशों का पालन करने में वकिल रहता है (अनुच्छेद 365) ।
 - राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार नलिंबति हो जाती है और केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाती है ।
 - राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये संसदीय अनुमोदन आवश्यक है और इसे दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदति कया जाना चाहिये ।
 - प्रारंभ में, राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिये लागू होता है और इसे हर छह महीने में संसदीय मंजूरी के साथतीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
 - संविधान में 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने पर प्रतबिध लगा दिया, जिससे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में वसितार की अनुमति मिलति है या यदिरिवाचन आयोग राज्य विधानसभा चुनाव आयोजति करने में कठनाइयों के कारण आवश्यकता को प्रामाणति करता है ।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1988) की रिपोर्ट के आधार पर, बोम्मई मामले, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध कया जहाँ अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है ।

| अनुच्छेद 356 का उचित उपयोग | अनुच्छेद 356 का अनुचित उपयोग |
|---|--|
| त्रिशंकु अधिनियम: चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। | वैकल्पिक मंत्रालय गठन की खोज किये बिना मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिया। |
| बहुमत दल ने मंत्रालय बनाने से इनकार कर दिया, और बहुमत वाला कोई गठबंधन मंत्रालय उपलब्ध नहीं है। | राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण की अनुमति दिये बिना राष्ट्रपति शासन लगा दिया। |
| अधिनियम में हार के बाद मंत्रिमंडल ने त्याग-पत्र दे देता है और कोई भी पार्टी बहुमत के साथ नया मंत्रालय नहीं बना सकती है। | लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की बड़ी हार हुई है। |
| संविधान का आंतरिक तोड़फोड़ या जानबूझकर उल्लंघन। | आंतरिक अशांति तोड़फोड़ या विघटन की श्रेणी में नहीं आती। |
| राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देश की अवहेलना करती है। | उचित चेतावनी के बिना कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के आरोप। |
| शारीरिक विच्छेद, राज्य सुरक्षा को खतरे में डालना। | अंतरपक्षीय मुद्दों या अपरासंगिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग। |
| | आपातकालीन स्थिति को छोड़कर राज्य सरकार को पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है। |

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के नमिनलखिति में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? (2017)

1. राज्य अधिनियम का विघटन
2. राज्य के मंत्रपरिषद् का हटाया जाना
3. स्थानीय निकायों का विघटन

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. यद्यपि परसिंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारति अभलिक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परसिंघवाद सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, यह एक ऐसा लक्षण है जपो प्रबल परसिंघवाद की संकल्पना के वरिंध में है। चर्चा कीजिये। (2014)